

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-47/2018/2262 /पांच-8-2013-म(178)/2012

लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2018

कार्यालय-जाप

बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में द्विवर्षीय डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी०सी०एच०) कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-21फ/सं०रो०/ए०ई०एस०/जे०ई०/2018/4442, दिनांक 06-07-2018 एवं पत्र संख्या-21फ/सं०रो०/ए०ई०एस०/जे०ई०/2018/डी०सी०एच०/3350-51, दिनांक 31-05-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार पात्र चिकित्साधिकारियों का डिप्लोमा सत्र 2018 हेतु सेवा विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	श्रेणी	सेवा में आने की तिथि	कार्यरत स्थान
1	2	3	4	5
1	डा० सत्येन्द्र बहादुर सिंह	सामान्य	28-08-2006	सामु०स्वा० केन्द्र, कटेहरिया, अम्बेडकर नगर।
2	डा० शिव कुमार चतुर्वेदी	सामान्य	04-08-2009	प्राथ०स्वा० केन्द्र, ककराही, सोनभद्र
3	डा० रविशंकर सिंह	सामान्य	06-08-2009	पी०पी०सी० गुगल सराय, बन्दीली
4	डा० राहुल सिंह	सामान्य	04-08-2009	राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी
5	डा० चन्द्रमणि	सामान्य	12-08-2009	सामु०स्वा० केन्द्र, पाली गोरखपुर
6	डा० राजेश मिश्रा	सामान्य	13-08-2009	सामु०स्वा० केन्द्र, शिवराजपुर कानपुर नगर
7	डा० आशीष कुमार	सामान्य	01-05-2010	सामु०स्वा० केन्द्र, इकौना श्रावस्ती।
8	डा० हरेन्द्र कुमार मिश्रा	सामान्य	11-03-2010	जिला चिकित्सालय, देवरिया
9	डा० विवेका नन्द मिश्रा	सामान्य	12-03-2010	सामु० स्वा० केन्द्र चाका इलाहाबाद
10	डा० आशीष कुमार अग्रहरि	सामान्य	29-03-2010	प्राथ०स्वा० केन्द्र, जोगिया सिद्धार्थ नगर
11	डा० रakesh कुमार यादव	अ०पि०व०	06-09-2006	सामु०स्वा० केन्द्र, हरैया बस्ती
12	डा० सुरेन्द्र प्रसाद	अ०पि०व०	06-09-2006	प्राथ०स्वा० केन्द्र, रानी की सरायी आजमगढ़
13	डा० राशिद जमाल	अ०पि०व०	29-11-2006	सामु० स्वा० केन्द्र, कोठी बाराबंकी
14	डा० रविन्द्र कुमार वर्मा	अ०पि०व०	06-02-2008	प्राईमरी हेल्थ सेन्टर सुलतउवा बस्ती
15	डा० मोहं अंसारी	अ०पि०व०	01-01-2009	सामु० स्वा० केन्द्र, टण्डा अम्बेडकर नगर
16	डा० अजीत कुमार मौयो	अ०पि०व०	13-01-2009	अति प्राथ० स्वा० केन्द्र, मिर्जापुर वाराणसी
17	डा० हरिश् चन्द्रा	अनु०जाति	07-12-2006	संयुक्त चिकित्सालय, अगडा बरहनी बन्दीली
18	डा० रविन्द्र कुमार कुरील	अनु०जाति	06-09-2006	सामु० स्वा० केन्द्र, गानवासा बहराइच
19	डा० अशोक कुमार	अनु०जाति	29-06-2007	नया प्राथ० स्वा० केन्द्र, मदवासराय मऊ
20	डा० मनोज कुमार कर्नोजिया	अनु०जाति	05-09-2006	प्राथ० स्वा० केन्द्र, सुखपाल नगर प्रतापगढ़

2- पूर्वान्वयन में ए०ई०एस०/जे०ई० को नियन्त्रित करने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने हेतु पी०एम०एच०एस० संवर्ग के उपर्युक्त 20 चिकित्साधिकारियों को बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर से डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी०सी०एच०) कराये जाने हेतु एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

D:\Chano 2018\1133178

- 1- यह शासननिदेशक चिकित्सा जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासननिदेशक की प्रामाणिकता वेब साइट <http://ghsasanmadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित चिकित्साधिकारियों की अध्ययन की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है-

- (1) अध्ययन की अवधि को ड्यूटी पर माना जायेगा और उन्हें वहीं वेतन व मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा, जो उनके प्रशिक्षण में न जाने पर ड्यूटी में देय होता है। अध्ययन अवधि में नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता यदि अनुमन्य हो तो दिये जाने के पूर्व उनसे सहायक नियम-152एफ में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- (2) चिकित्साधिकारियों के अध्ययन हेतु उनकी तैनाती के स्थान से संबंधित मेडिकल कालेज में आने तथा वापस जाने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार सामान्य दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा, किन्तु उन्हें अपने अध्ययनकाल में कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य न होगा।
- (3) अध्ययन में पूर्व अथवा बाद में कोर्स ज्वाइनिंग टाईम अनुमन्य न होगा, किन्तु वास्तविक समय अध्ययन के स्थान पर जाने तथा वापस आने में लगेगा वह अध्ययन अवधि का ही भाग समझा जायेगा।
- (4) उक्त अध्ययन में प्रवेश, प्रशिक्षण लाइब्रेरी तथा परीक्षा शुल्क संबंधी व्यय चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा स्नात्कोत्तर (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम का कार्यकाल 02 वर्ष होगा।
- (5) प्रशिक्षण 02 वर्ष में पूर्ण करना होगा अधिकतम 02 बार और परीक्षा देने का अवसर दिया जायेगा।
प्रशिक्षण हेतु आवेदन करते समय चिकित्साधिकारी को शपथ पत्र देना होगा कि वे प्रशिक्षण उपरान्त ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में कम से कम 05 वर्ष तक सेवा प्रदान करेंगे।
प्रशिक्षण उपरान्त 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण किन्ही कारणों से ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से प्रभावित जनपदों के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में हो जाता है तो सम्बन्धित चिकित्साधिकारी अपने नियंत्रक अधिकारी को 05 वर्ष तक की अवधि पूर्ण होने तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में सेवा देने के शपथ पत्र के विषय में अवगत करायेगा, ऐसा न करने की दशा में उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी अथवा यदि डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त शासकीय सेवा छोड़ देता है तो उपरोक्त वर्णित दोनों ही दशाओं में प्रशिक्षण काल में देय वेतन के बराबर धनराशि विभाग को प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी।
- (6) चिकित्साधिकारियों से शासनादेश संख्या-1653/चि-3-11-जी-179/2005, दिनांक 25-05-2011 में उल्लिखित आशय का अनुबन्ध निष्पादित कराया जायेगा।
- (7) उन्हें स्नात्कोत्तर योग्यता वेतन अनुमन्य नहीं होगा।
- (8) डिप्लोमा पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्साधिकारी स्वतः विशेषज्ञ सेवा कर सकेंगे।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.uo2.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।


- (9) संबंधित चिकित्साधिकारियों के प्रशिक्षण अवधि का वेतन व भत्ते उनके मूल तैनाती स्थान से आहरित होंगे।
- (10) उक्त अध्ययन के उपरान्त संबंधित चिकित्साधिकारी अपनी मूल तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस अवधि में उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
- (11) उपर्युक्त स्नात्कोत्तर अध्ययन हेतु संबंधित चिकित्साधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे।

वी० हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-47/2018/2262 (1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 50प्र०, लखनऊ।
- 3- प्राधानाचार्य बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर।
- 4- निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 50प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक ए०ई०एस०/जे०ई०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी (द्वारा निदेशक प्रशासन)
- 7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बहराइच (द्वारा निदेशक प्रशासन)
- 8- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3
- 9- चिकित्सा अनुभाग-2/3
- 10- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड फाइल।

अरुण से,

(रमेश कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।